

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्या:वि0स0-विधायन-संकल्प/1-26/2018

प्रेषक :

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

प्रेषित:

मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.

दिनांक, शिमला-171004, 1-3-2018

विषय: वीरवार, 8 मार्च, 2018 को विचारार्थ लिए जाने वाले गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प ।

महोदय,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 में निहित अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों संख्यां-6 के अन्तर्गत मुझे आपको बुलेटिन भाग-2 संख्या:37 की प्रति सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

भवदीय,

सचिव,

हि0प्र0 विधान सभा।

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि: दिनांक, शिमला- 171004 1-3-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मंत्री/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
4. सचिव, राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव/ प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को उपरोक्त बुलेटिन भाग-2, संख्या:37 की प्रति सहित ।

सचिव,
03/03/2018

हि0प्र0 विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

वीरवार, 1 मार्च, 2018/ 10 फाल्गुन, 1939(शक्)

गैर सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

द्वितीय सत्र

संख्या:37

वीरवार, दिनांक 08 मार्च 2018, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जिनकी शलाका (Ballot) दिनांक 1-03-2018 को हुई, का परिणाम:-

| क्र० स० | सदस्य का नाम | उद्धरण |
|------------|-----------------------|---|
| 1 | श्री राम लाल ठाकुर | "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां पर प्रदेश की भूमि में कब्जे किए हैं, उन्हें यथावत नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए ।" |
| 2 | श्री अनिरुद्ध सिंह | "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/बागवानों की फसलों को पहुँचाए गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए ।" |

सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।
